उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

खाद्य सुरक्षा वाद संख्या–04 / 2018–19

झारखण्ड राज्य सरकार

–बनाम्–

मेसर्स स्वीट वैली, प्रो0 प्रवीर मंडल

–::आदेश ::–

12.10.2020

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, चास बोकारो के पत्रांक–14 दिनांक–28.01.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–14.10.2018 को डा0 अनिल कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मेसर्स स्वीट वैली, प्रो0 श्री प्रवीर मंडल, सिटी सेन्टर, सेक्टर–4, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो में खाद्य पदार्थों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा 1000 ग्राम खोवा क्रय कर संग्रह करते हुए जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेजा गया। जाँचोपरान्त खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भेजा गया खोवा **Sub-Standard** है। जिसके आधार पर अभिहित पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 की u/s 3(1)(ZX) के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं विपक्षी को सुना गया ।

राज्य सरकार की ओर विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दी गई कि प्रश्नगत खाद्य पदार्थ (खोवा) जो कि Sub-Standard पाया गया है, को खरीदना एवं बेचना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम–2006 की धारा–51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उसके बावजूद भी उक्त Sub-Standard खोवा का दूकान में पाया जाना, उनके बेचने / उपयोग करने की मंशा को दर्शाता है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया है कि प्रश्नगत खाद्य पदार्थ (खोवा) के Sub-Standard होने के सदर्भ में विपक्षी को कोई भी ज्ञान नहीं था। विपक्षी के द्वारा अनजाने में हुआ भूल है न कि जानबूझकर। उनके द्वारा कहा गया कि वे स्थानीय दूध बिक्रेता से विश्वास पर दूध खरीद कर मिठाई बनाते है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दूधवाले या मिठाई निर्माता ने दूध में चीनी का इस्तेमाल करके कुछ शरारतें की गई होगी। दूकानदार के

पास आर्टिफिशियल फैट/स्टार्च जाँच करने की मशीन नहीं होने के कारण खोवा के Sub-Standard होने का ज्ञान नहीं हो पाया। दुकानदार ने तय मानकता के अनुरूप खोवा को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंत में उनके द्वारा कहा गया कि दुकानदार एक गरीब व्यवसायी है। भविष्य में ऐसी गलती न हो इसका वह ध्यान रखेंगें। इसके लिए बांड या अंडरटेकिंग देने को भी तैयार है। अतः उन्होंने दुकानदार के विरूद्ध चल रही कार्यवाही को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खोवा विपक्षी के दुकान से पाया गया है। जॉच के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत खोवा Sub-Standard है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस Sub-Standard खोवा का उपयोग ग्राहको के लिए नहीं किया जाता होगा। यदि ऐसे Sub-Standard खाद्य पदार्थ (खोवा) ग्राहकों को बेचा जाता है तो यह उनके स्वाथ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए विपक्षी पर लगाया गया आरोप सही है और दण्डनीय है। अभिलेख से प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस मिलावट से कोई लाभ नहीं मिला है। प्रथम पक्ष द्वारा अब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसे प्रमाणित हो कि किसी ग्राहक को इस Sub-Standard खोवा से नुकसान पहुँचा हो।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 **"Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakhs rupees."** के तहत विपक्षी पर रू0 5,000.00 (पाँच हजार) मात्र जुर्माना किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृति न करने के चेतावनी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.25 18:20:00 +05:30
Location: 192.168.1.100